पत्रांक–15 / नीति नि०–07–04 / 2014 का०– 5535

झारखण्ड सरकार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

प्रेषक,

के० के० खंडेलवाल,
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

राज्यपाल के प्रधान सचिव / मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव /
सभी अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव /
सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी विभागाध्यक्ष / सभी उपायुक्त।

राँची, दिनांकः– 12/07/2019

विषयः– झारखण्ड सरकार के अधीनस्थ अनियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों की सेवा नियमितीकरण नियमावली, 2015 (यथा संशोधित) के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा Civil Appeal No.-7423-7429/2018 [arising out of S.L.P. (Civil) No.-19832-19838/2017] नरेन्द्र कुमार तिवारी एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक–01.08.2018 को पारित न्यायादेश के आलोक में "झारखण्ड सरकार के अधीनस्थ अनियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों की सेवा नियमितीकरण नियमावली, 2015" में निर्धारित कट–ऑफ–डेट एवं सेवा नियमितीकरण हेतु निर्धारित समय–सीमा में संशोधन विभागीय अधिसूचना संख्या–4871 दिनांक–20.06.2019 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा किया गया है।

2. विभागीय अधिसूचना संख्या–4871 दिनांक–20.06.2019 के द्वारा सेवा नियमितीकरण नियमावली, 2015 के नियम–3-क-(i) में 10 वर्षों की लगातार सेवा की गणना करने हेतु निर्धारित कट–ऑफ डेट 10.04.2006 के स्थान पर संशोधन संबंधी अधिसूचना की निर्गत तिथि (**दिनांक–20.06.2019**) को कट–ऑफ डेट के रूप में प्रतिस्थापित किया गया है।

3. उक्त नियमावली के नियम–3-ख-(viii) में इसकी प्रभावी तिथि को इस नियमावली से आच्छादित सभी अनियमित रूप से नियुक्त कर्मियों के विचारण तक प्रभावी रहने संबंधी संशोधन भी किया गया है तथा विभागीय अधिसूचना संख्या–4871 दिनांक–20.06.2019 में सेवा नियमितीकरण की कार्रवाई पूर्ण करने के लिए अनियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों से आवेदन प्राप्त करने की अधिकतम अवधि 06 (छः) माह निर्धारित की गयी है।

उक्त अधिसूचनाएँ विभागीय वेबसाईट (http://dopjharkhand.gov.in/) पर उपलब्ध है।

4. संबंधित सभी अभ्यर्थियों (जो दिनांक–20.06.2019 तक 10 वर्षों की लगातार सेवा पूरी करते हों) से अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 06 (छः) माह के अन्दर नियमितीकरण के दावे से संबंधित आवेदन प्राप्त कर सेवा नियमितीकरण नियमावली, 2015 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के आलोक में उक्त नियमावली के नियम–3(ख) के आलोक में गठित समिति के द्वारा विचार किया जाना है।

अतः अनुरोध है कि सेवा नियमितीकरण नियमावली, 2015 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के आलोक में निर्धारित समय–सीमा के अन्तर्गत कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नकः–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

12/7/19

(के० के० खंडेलवाल)
सरकार के अपर मुख्य सचिव।